न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1122–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–3–16 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील ग्वालियर प्रकरण कमांक 1/12–13/अ–70.

1– मु0 रामश्री
2– राजेन्द्र
3– मुंशीसिंह
4– त्रिलोकसिंह
5– गोपालसिंह
6– बब्लू उर्फ ब्रिजेश पुत्रगण बाबूसिंह
समस्त निवासीगण गौमती की फड़ी
सिकंदर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– कालीचरन
2– नैहनाराम
3– किशन
4– पूरन
5– श्रीराम पुत्रगण नंदराम
निवासीगण गौमती की फड़ी
मेवातीनगर सिकंदर कम्पू
लश्कर, ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एन.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील **ग्वालियर द्वारा** पारित आदेश दिनांक 16–3–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम शहर लश्कर परगना ग्वालियर स्थित भूमि सर्वे कमांक 1212, 1227, 1228, 1229/1835, 1339/1836 अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है । उनके द्वारा दिनांक 14–8–2012 को सीमांकन कराये जाने पर अनावेदकगण की भूमि सर्वे कमांक 1227 एवं 1329/1836 में से रकबा 4 बिस्वा भूमि पर आवेदकगण द्वारा मकान बनाकर अतिकमण किया जाना पाया गया है एवं सर्वे कमांक 1228 एवं 1229/1835 में 5 बिस्वा भूमि, जो कि रिक्त पड़ी है, पर आवेदकगण का कब्जा पाया गया है, अतः कब्जा दिलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 1/12–13/अ–70 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई की सीमांकन आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी विचाराधीन है, अतः संहिता की धारा 250 की कार्यवाही स्थगित की जाये । अनावेदकगण द्वारा उत्तर प्रस्तुत कर उल्लेख किया गया कि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 5–8–2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिये जाने के कारण आपत्ति निरस्त की जाये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 16–3–16 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदकगण की आपत्ति निरस्त की जाकर प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश को स्थगित किया गया है, अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में राजस्व मण्डल द्वारा निरस्त सीमांकन के आधार पर तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत कार्यवाही करने में अवैधानिकता की जा रही है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त आशय की आपत्ति आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित कार्यवाही भी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 5–8–2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

स्थगित कर दिया गया है, अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही रोकी जाना उचित नहीं होने से तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । माननीय उच्च न्यायालय आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 6934/2015 में पारित आदेश दिनांक 8–10–2015 द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश को स्थगित किया गया है, तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–3–16 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर